न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रेखा गुर्जर

राजस्व वाद संख्या : 19 / 2022

दायर दिनांक : 10.02.2022

निर्यण दिनांक : 30.05.2022

उनवान

02. रामबीरसिंह पुत्र बलबीर सिंह जाति अहीर निवासी पुरोहित का बास तन खेडा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

—— वादीगण

बनाम

01. अजीतसिंह पुत्र रामबीरसिंह जाति अहीर निवासी पुरोहित का बास तन खेडा तहसील बानसूर जिला अलवर
02. श्रीमति अनिता उर्फ ज्योति पत्नी श्री अजीतसिंह जाति अहीर निवासी पुरोहित का बास तन खेडा तहसील बानसूर जिला अलवर

—— असल प्रतिवादीगण

03. कॅवर सिंह पुत्र बलबीरसिंह जाति अहीर निवासी गण्डाला तहसील बहरोड जिला अलवर राज0
04. विधादेवी पत्नी श्री जगदीशचन्द्र जाति अहीर निवासी बालीपुर खुर्द जिला रेवाडी हरियाणा।

—— तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्तागण :—

01. वादीः— श्री अशोक कुमार यादव
02. प्रतिवादीगणः— स्वयं उपस्थित

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

निर्णय

आज यह पत्रावली मेरे समक्ष वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 खाता संख्या नया 337 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 566 रकबा 0.1300 हैक्टेयर सालिम, मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 खाता संख्या नया 441 में वर्णित आराजी हाल खसरा नम्बर 559 रकबा 0.6600 हैक्टेयर का 25/26 हिस्सा एवं मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 खाता संख्या नया 27 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 532 रकबा 0.01000 हैक्टेयर, 533 रकबा 2.4200 हैक्टेयर का 1/6 हिस्सा स्थित ग्राम खेडा तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान है। विवादित आराजी मिन वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस आराजी पर मिन वादी का कब्जा काश्त आज तक बिना किसी रोक टोक चला आ रहा है। एवं राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में मिन वादी का नाम खातेदारी में दर्ज है। और जमा सरकारी मिन वादी अदा करता आ रहा है मिन वादी विवादित आराजी का अभिलिखित खातेदार काश्तकार है, और वर्तमान में मौके पर काबिज है। तथा अपना व अपने आश्रितो का जीवन निर्वाह करता चला आ रहा है। मिन वादी ने विवादित आराजी में अपने कुछ हिस्से में कृषि कार्य व पशुपालन व रिहायश हेतु मकानात बना रखे है। तथा शेष आराजी में कृषि कार्य करता है। असल प्रतिवादीगण मिन वादी के पुत्र व पुत्र वधु है जो करीब 12 वर्ष से वादी से अलग होकर रहते है। जिनका विवादित आराजी से किसी प्रकार का कोई संबंध, सरोकार, वास्ता, कब्जा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नहीं है। असल प्रतिवादीगण विवादित आराजी से गैरकाबिज एवं गैरवास्ता शख्त है। मिन वादी शान्तिप्रिय वृद्व व्यक्ति है, तथा असल प्रतिवादीगण पति–पत्नी लडाका व खूंखार किस्म के दम्पत्ति है, जो कि मिन वादी की शांतिप्रियता व वृद्वावस्था का नाजायज फायदा उठाकर मिन वादी को लटठ के बल पर उक्त विवादित आराजी से जबरन बेदखल कर अपना कब्जा करने व रिहायशी मकानात में जबरन प्रवेश करने व मौके पर कच्चा पक्का निर्माण करने व विवादित आराजी में मिन वादी को कृषि कार्य काश्तकारी नहीं करने देने की दहशत व धमकी देते रहते है, जिस कारण से असल प्रतिवादीगण आये दिन मिन वादी के कब्जे काश्त कृषि कार्य काश्तकारी में रूकावट व मजाहमत तथा गाली गलौच व झगडा फसाद करते रहते है। जिसका कि असल प्रतिवादीगण को कोई नैतिक एवं विधिक अधिकारी नहीं है। विवादित आराजी न्यायालय श्रीमान के सीमाक्षैत्र ग्राम खेडा तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान में स्थित है, तथा मिन वादी द्वारा वाद धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अदालत श्रीमान में पेश किया जा रहा है। दावा हाजा न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य है। खाता संख्या नया 27 में वर्णित आराजी हाल खसरा नम्बर 532 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, 533 रकबा 2.4200 हैक्टेयर में तरतीबी प्रतिवादी संख्या 03 अपने 25/48 हिस्सा, तथा तरतीबी प्रतिवादन संख्या 4 अपने 5/16 हिस्से के अभिलिखित खातेदार काश्तकार है। इसलिए रफाय हुज्जत तरतीबी प्रतिवादीगण बनाया गया है।

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

वादी का वाद पत्र दर्ज पंजिका किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 02 स्वंय उपस्थित हुये। तथा निवेदन किया की वादी का वाद मुताबिक अनुतोष स्वीकार कर लिया जाता है। तो हमे कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का व वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात तथा शपथ पत्र का गहनता से अवलोकन एंव अध्ययन किया। वादी ने खाता संख्या नया 337 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 566 रकबा 0.1300 हैक्टेयर सालिम, मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 खाता संख्या नया 441 में वर्णित आराजी हाल खसरा नम्बर 559 रकबा 0.6600 हैक्टेयर का 25/26 हिस्सा एवं मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 खाता संख्या नया 27 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 532 रकबा 0.01000 हैक्टेयर, 533 रकबा 2.4200 हैक्टेयर का 1/6 हिस्सा स्थित ग्राम खेडा तहसील बानसूर की आराजी में वादी ने प्रतिवादीगण को पाबन्द करवाना चाहा है कि वो वादी को विवादित आराजी में किसी कदर बेदखल कर जबरन कब्जा न करने व कब्जे काश्त में रूकावट व मजामत पैदा ना करें। विवादित आराजी में बने हुये रिहायशी मकानात में जबरन प्रवेश ना करें। मौके पर किसी प्रकार का कच्चा या पच्चा निर्माण ना करें। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के मुताबिक वादी उपरोक्त आराजी का खातेदार काश्त कार है। प्रतिवादीगण उपरोक्त आराजी के न तो खातेदार है और न ही सह खातेदार है। वादी उपरोक्त खातेदारी काश्तकार है। तथा मुताबिक कानून उपरोक्त आराजी के उपयोग–उपभोग व काश्त करने के अधिकार प्राप्त है। दिगर व्यक्ति खातेदार अभिदारी को उसके खातेदारी अधिकारों के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं कर सकता है। उपरोक्त वाद पत्र में वर्णित आराजी में वादी प्रतिवादीगण के विरूध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। उपयोग–उपभोग अतः उक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादी का वाद डिक्री कर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 566 रकबा 0.1300 हैक्टेयर सालिम, आराजी हाल खसरा नम्बर 559 रकबा 0.6600 हैक्टेयर का 25/26 हिस्सा एवं आराजी खसरा नम्बर 532 रकबा 0.01000 हैक्टेयर, 533 रकबा 2.4200 हैक्टेयर का 1/6 हिस्सा वाके मौजा खेडा तहसील बानसूर में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजामत पैदा ना करें। किसी प्रकार का कच्चा व पक्का निर्माण कार्य नहीं करें। विवादित आराजी में बने हुये रिहायशी मकानात में जबरन प्रवेश ना करें। आदेश की पालना में पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

यह निर्णय आज दिनांक 30.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रेखा गुर्जर

राजस्व वाद संख्या : 19/2022

दायर दिनांक : 10.02.2022

नियर्ण दिनांक : 30.05.2022

उनवान

01. रामबीरसिंह पुत्र बलबीर सिंह जाति अहीर निवासी पुरोहित का बास तन खेडा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

— वादीगण

बनाम

01. अजीतसिंह पुत्र रामबीरसिंह जाति अहीर निवासी पुरोहित का बास तन खेडा तहसील बानसूर जिला अलवर
02. श्रीमति अनिता उर्फ ज्योति पत्नी श्री अजीतसिंह जाति अहीर निवासी पुरोहित का बास तन खेडा तहसील बानसूर जिला अलवर

— **असल प्रतिवादीगण**

03. कॅवर सिंह पुत्र बलबीरसिंह जाति अहीर निवासी गण्डाला तहसील बहरोड जिला अलवर राज0
04. विधादेवी पत्नी श्री जगदीशचन्द्र जाति अहीर निवासी बालीपुर खुर्द जिला रेवाडी हरियाणा।

— **तरतीबी प्रतिवादीगण**

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्तागण :–

01. वादी:– श्री अशोक कुमार यादव
02. प्रतिवादीगण:– स्वयं उपस्थित

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

पर्चा डिक्री

वादी का वाद डिक्री कर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 566 रकबा 0.1300 हैक्टेयर सालिम, आराजी हाल खसरा नम्बर 559 रकबा 0.6600 हैक्टेयर का 25/26 हिस्सा एवं आराजी खसरा नम्बर 532 रकबा 0.01000 हैक्टेयर, 533 रकबा 2.4200 हैक्टेयर का 1/6 हिस्सा वाके मौजा खेडा तहसील बानसूर में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजामत पैदा ना करें। किसी प्रकार का कच्चा व पक्का निर्माण कार्य नहीं करें। विवादित आराजी में बने हुये रिहायशी मकानात में जबरन प्रवेश ना करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर, बानसूर (अलवर)

सहायक कलक्टर
बानसूर अलवर

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30.05.2022 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर मुद्वाकित की गई।

सहायक कलक्टर, बानसूर (अलवर)

सहायक कलक्टर
बानसूर अलवर